धन्ना फौत का0 मु0 विजेन्द्र वगै0 बनाम कल्याणी फौत का0मु0 कन्हैयालाल

प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन संख्या : 2020/94

02.09.2020	रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पेश हुआ । उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण उपस्थित । प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई । प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में दिनांक 20.08.2019 की तारीख पेशी नियत की गई थी। प्रार्थी इस पेशी पर उपस्थित नहीं हो पाये उनके अभिभाषक भी अन्य न्यायालय में उपस्थित होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाये । प्रार्थना पत्र के खारिज होने की जानकारी दिनांक 29.07.2020 को हुई । जानकारी तिथि से प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया है । धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है । न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2018 (3) (राज0) पेज 1178 उद्धरत किया । अभिभाषक अप्रार्थी ने कथन किया कि न्यायालय में अपील जैरकार नहीं थी । बल्कि अपील को रेस्टोर करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जो लम्बित था । गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । 19 प्रार्थियों में से यात्रा पर कौन गया था किस तारीख को गया था कब वापस आये कुछ भी अंकित नहीं किया गया है । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र 11 माह बाद पेश किया गया है । जानकारी का स्त्रोत पटवारी हल्का द्वारा बताना गलत अंकित किया गया है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपील दिनांक 18.02.2014 को ही अदम हाजरी में खारिज की गई थी । रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र भी दिनांक 20.08.2019 को खारिज किया गया है । प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर है एवं सारहीन है । अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1995 (मध्यप्रदेश) पेज 160, एआईआर 1993 (दिल्ली) पेज 132, एआईआर 1984 (कलकत्ता) पेज 118, एआईआर 1988 (कलकत्ता) पेज 246 उद्धरत की । प्रार्थी ने रिबटल में कथन किया कि प्रार्थना पत्र, रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र के लिए पेश किया है लिपिकीय त्रुटिवश सहवन प्रार्थना पत्र में अपील अंकित हो गया है । हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन अपील इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 20.08.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था जिसको रेस्टोर के लिए प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से पेश किया गया है । प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । हम न्यायहित में 500/– रूपये के हर्जे पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर रेस्टोरेशन के प्रार्थना पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित समझते हैं ।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 500/– रूपये के हर्जे पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन को पुनः नम्बर पर लिया जाता है । रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.09.2020 को पेश हो ।

आदेश आज दिनांक 02.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

2/9/20

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा